न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 330–तीन/2008 विरूध्द आदेश दिनांक 19–03–08 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रकरण कमांक 663/06-07.

श्यामशरण ब्रा. तनय स्व. सुरपतिराम ब्रा.
निवासी ग्राम लालगॉव, तह0 सिरमौर,
जिला रीवा, म0प्र0

--- आवेदक

विरूध्द

1– गुस. मंती बेवा सुरसरीप्रसाद (मृत)
2- प्रेमवती पिता स्व. सुरसरीप्रसाद पति रामप्रसाद
नि0 सोहागी, तह. त्यौथर, जिला रीवा
3- शिवकली पुत्री सुरसरीप्रसाद पति कामलाकंत
नि0 ग्राम ढखरा, तह0 त्योथर, जिला रीवा
4– सावित्री पुत्री स्व. सुरसरीप्रसाद पति बुद्धसेन (मृत)
वरिसान- प्रतीक्षा पुत्री बुद्धसेन नाबली सरपरस्त
पिता बुद्धसेन, नि0 ग्राम सोहागी, तह. त्यौथर,
जिला रीवा, म0प्र0
5– रामप्रकाश तनय स्व. सुरपतिराम,
नि0 लालगॉव, तह0 सिरमौर, जिला रीवा

–– अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक - आवेदक
श्री एस0एल0 धाकड़, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 12. 6. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 663/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–03–08 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक श्यामशरण ने ग्राम लालगॉव स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 1690/1 रकबा 0.33 एकड़ पर जरिये आपसी हिस्साबांट बटवारा एवं नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र संहिता की धारा 178/110 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30–6–05 व्दारा अनावेदकगण का नाम विलोपित करते हुए आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक 1 से 4 ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने दिनांक 09–04–07 व्दारा अपील स्वीकार कर तहसील का आदेश निरस्त किया। व्दितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 19–3–08 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नायब तहसीलदार व्दारा विधिवत सूचनापत्र अनावेदकगण पर तामील किये तथा बटवारा प्रकिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आपसी बटवारे में आवेदक को प्राप्त हुई है, तभी से वह भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि की अनावेदकगण अभिलिखित सह–भूमिस्वामी हैं और प्रथम व्यवहार न्यायालय ने व्यवहार वाद कमांक 57ए/2007 में पारित निर्णय दिनांक

25–01–10 में प्रश्नाधीन भूमि नं. 1690/1 रकबा 0.33 के 1/2 भाग का भूमिस्वामी होना घोषित किया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध बटवारा पुल्ली एव नायब तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि नं. 1690/1 रकबा 0.33 आवेदक को बटवारा में प्रदान कर नायब तहसीलदार व्दारा आवेदक के नामान्तरण के आदेश दिये हैं। प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में सहभूमिस्वामी स्वत्व में अंकित थी। ऐसी दशा में तहसील न्यायालय में आवेदक व्दारा इस भूमि पर पूर्व के आपसी बटवारे के आधार पर स्वत्व का प्रश्न प्रस्तुत किया गया था तो तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 178(1) के व्दितीय परन्तुक के अनुसार सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण तीन माह के लिये स्थगित करना चाहिये था। यदि पक्षकार व्दारा तीन माह के अन्दर सिविल वाद संस्थित कर स्थगन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर तहसील न्यायालय को विभाजन की कार्यवाही अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुसार करना चाहिये थी अर्थात संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है। ऐसी दशा में नायब तहसीलदार का आदेश अधिकारिता रहित होने से उसे अपीलीय न्यायालयों व्दारा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 19–03–08 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनाक 09–04–07 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0